

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा, द्वितीय व्यवहार
न्यायाधीश वर्ग-दो, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक 01बी / 2016

संस्थित दिनांक 19.01.2015

1. अग्रवाल ट्रेडर्स उकवा प्रो० सूरजप्रसाद अग्रवाल
मामराज अग्रवाल आयु 65 साल जाति बनिया
साकिन उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट म०प्र०

.....वादी

विरुद्ध

1. भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सोनपुरी श्री प्रसाद उयके
आयु 48 साल पिता श्री मोतीलाल जाति परधान
साकिन सोनपुरी तहसील बैहर जिला बालाघाट म०प्र०
2. पूर्व सचिव ग्राम पंचायत सोनपुरी तपेश कुमार
पिता फागुराम आयु अन्दाजन 43 साल जाति
सुनार निवासी सोनपुरी तहसील बैहर जिला बालाघाट
वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत लातरी तहसील बैहर
जिला बालाघाट म०प्र०

.....प्रतिवादीगण

-:: निर्णय ::-

-:: दिनांक **15.10.2016** को घोषित ::-

01. वादी द्वारा यह वाद पत्र प्रतिवादीगण से वादी फर्म की सीमेण्ट व लोहा की बकाया राशि 22,621/- (बाइस हजार छः सौ इक्कीस) रुपये मय ब्याज वसूली हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02. वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी फर्म द्वारा ग्राम उकवा में सीमेण्ट, लोहा का व्यवसाय किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगण की अच्छी पहचान होने के कारण प्रतिवादीगण सरपंच एवं सचिव होने से पंचायत निर्माण कार्य सामग्री ले जाया करते थे और निर्माण कार्य पूर्ण होने पर शासन द्वारा राशि आने पर वादी को दे देते थे। अच्छे संबंध होने के कारण वादी लेन-देन से मना नहीं करता है और अपने कार्यकाल में प्रतिवादीगण वादी फर्म से सीमेण्ट लोहा इत्यादी ले गये और राशि भी अदा करते रहे। दिनांक 13.09.2011 को प्रतिवादीगण वादी फर्म में आये और 50 बैग सीमेण्ट व लोहा ले गये। जिसकी शेष राशि 22,621/- (बाइस हजार छः सौ इक्कीस) रुपये बकाया है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त सामग्री को ले जाते समय यह कहा गया था कि

निर्माण कार्य पूरा होने पर उक्त राशि लोटा दी जायेगी। परंतु निर्माण कार्य पूरा होने पर भी उक्त राशि अदा नहीं की गयी है।

03. फर्म के संचालन में वादी पुत्र दीपक अग्रवाल एवं संतोष अग्रवाल मदद करते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा अपने लेटर पेड में हस्ताक्षर कर 50 बैग सीमेण्ट व 02 क्विटल लोहा 12एम.एम हेतु पत्र दिया गया था तथा दीपक अग्रवाल ने सीमेण्ट व लोहा प्रदान कर बिल दिया था जिसकी शेष राशि 22,621/- (बाइस हजार छः सौ इक्कीस) रुपये बार-बार मांग करने पर भी आज दिनांक तक अदा नहीं किया गया है, जिससे वादी मानसिक रूप से परेशान है। और उसे व्यवसाय में नुकसान हो रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा टाल-मटोल करने पर वादी द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से उन्हें नोटिस प्रेषित किया गया था जो वह प्राप्त कर चुके हैं। जिसके उपरांत भी उनके द्वारा बकाया राशि अदा नहीं की गयी है और न ही इस संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत किया गया है। फलतः वादी द्वारा सीमेण्ट व लोहे की बकाया राशि हेतु वर्तमान वादी प्रस्तुत किया गया है।

04. प्रकरण में प्रतिवादीगण एक पक्षीय रहे हैं और जवाब दावा प्रस्तुत नहीं है।

05. प्रकरण न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न है :-

- (1) क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादी फर्म से 50 बैग सीमेण्ट व 02 क्विटल लोहा दिनांक 13.09.2011 को कय किया गया था ?
- (2) क्या प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कय समग्री की शेष राशि अदा नहीं की गयी है ?

::सकारण निष्कर्ष::

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02

06. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। वाद पत्र के अभिवचनों का समर्थन करते हुए सूरज अग्रवाल (वा0सा01) के कथन हैं कि उसके द्वारा ग्राम उकवा में अग्रवाल ट्रेडर्स के नाम से फर्म का संचालन किया जाता है, जिसमें सीमेण्ट, लोहा इत्यादि व्यवसाय किया जाता है। प्रतिवादीगण का पूर्व परिचय होने के साथ सम व्यवहार भी अच्छा था, तथा फर्म से सीमेण्ट लोहा इत्यादि ले जाकर राशि अदा की जाती थी। दिनांक 13.09.2011 को प्रतिवादीगण द्वारा फर्म में आकर 50बैग सीमेण्ट एवं लोहा ले जाया गया जिसकी कीमत लगभग

22,621/—(बाइस हजार छः सौ इक्कीस) रुपये निर्माण कार्य पूरा होने पर अदा करने का आश्वासन दिया गया। तदुपरांत निर्माण कार्य पूरा होने पर भी टाल-मटोल कर राशि अदा नहीं की जा रही है। उक्त संबंध में उसके द्वारा प्रेषित नोटिस डाकघर की रसीद प्रदर्श पी01, अभिस्वीकृति पत्र प्रदर्श पी02—पी03 तथा सरपंच सोनपुरी द्वारा लिखा गया पत्र प्रदर्श पी04 प्रस्तुत किया गया है।

07. उक्त कथनों का समर्थन संतोष अग्रवाल (वा0सा02) ने किया है। जिसके अनुसार सीमेण्ट एवं लोहा सामग्री उसके समक्ष लोड करवायी गयी थी तथा फर्म के कर्मचारी एवं भाई दीपक अग्रवाल भी वहां मौजूद था। उक्त संबंध में बकाया राशि का बिल भी दिया गया था। अशोक कोठे (वा0सा03) ने भी उक्त कथनों का समर्थन कर व्यक्त किया है कि फर्म से सीमेण्ट व लोहा इत्यादि प्रदत्त करते समय कर्मचारी होने के कारण वह उपस्थित रहते हैं। तथा उसके द्वारा दिनांक 13.09.2011 को प्रतिवादीगण को लोहा और सीमेण्ट नापकर तथा गिनकर दी गयी थी। जिस हेतु बिल भी प्रदत्त किया गया था।

08. वादी साक्षियों के अनुसार प्रतिवादीगण को लोहा व सीमेण्ट के संबंध में बिल प्रदत्त किया गया था परंतु प्रकरण में उक्त बिल की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही उक्त राशि के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत है। उक्त संबंध में वादी द्वारा एक मात्र दस्तावेज प्र.पी04 प्रस्तुत किया गया है जो कि ग्राम पंचायत सोनपुरी के सरपंच का लेटर पेड दर्शित होता है। परंतु वादी साक्षियों द्वारा उक्त दस्तावेज को प्रमाणित नहीं किया गया है। वादी द्वारा इस संबंध में धारा 67 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं किया गया है। उक्त दस्तावेज की अंतर्वस्तु तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 के हस्ताक्षर के संबंध में संपुष्टि कारक कथन नहीं किये गये हैं। तथापि यदि उक्त दस्तावेज को सत्य मान भी लिया जाये तो भी दस्तावेज पर पत्र वाहक वाहन में 50 बैग सीमेण्ट भिजवाने के संबंध में कथन होना दर्शित है। चूंकि सभी वादी साक्षियों ने प्रतिवादीगण के फर्म पर स्वयं उपस्थित होकर सीमेण्ट और लोहा ले जाने के कथन किये हैं। यदि प्रतिवादीगण स्वयं उक्त सामग्री ले गये हो तो प्र.पी04 का दस्तावेज देना संभव नहीं है। साथ ही लोहे के संबंध में उक्त दस्तावेज पर कोई विवरण अंकित नहीं है।

09. वादी के अनुसार प्रतिवादीगण का उसके फर्म से पूर्व से संव्यवहार था तथा सामग्री कय कर राशि अदा की जाती है। परंतु इस संबंध में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है। यह संभव नहीं है कि वर्तमान परिवेश में किसी व्यापारी द्वारा व्यापार के संबंध में कोई हिसाब-किताब, बही-खाता, बिल-बुक इत्यादि दस्तावेज नहीं रखा जाता हो। वादी द्वारा

उक्त दस्तावेज की अप्रस्तुति के संबंध में कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है। वादी द्वारा जिस राशि की वसूली हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। उसके संबंध में कोई विवरण तथा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। सभी साक्षियों द्वारा मात्र मौखिक कथन किये गये हैं, जिन पर विश्वास करना संभव नहीं है। वादी द्वारा कथित बिल की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी फर्म से सामग्री कय करना ही प्रमाणित नहीं है और न ही कथित राशि के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध है।

10. परिणामस्वरूप वर्तमान वाद निरस्त किया जाता है।
वादव्यय वादी द्वारा वहन किया जायेगा।

11. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सारणी अनुसार जो भी न्यून हों अदा की जावे।

तदनुसार डिक्री तैयार की जावे।

दिनांक 15.10.2016

स्थान — बैहर म.प्र.

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग—दो

बैहर बालाघाट म.प्र.

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग—दो

बैहर बालाघाट म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)